

बैठक कार्यवाही विवरण

मैसर्स मनप्रीत सिंह आनन्द द्वारा प्रस्तावित परियोजना यथा "Lime Stone (Building Stone), Lime Stone (Dimensional Waste) & Masonry Stone Mining Project" Ref. No. 20221000060192, M.L. No.- 07/2022, Mine lease area- 1.5600 Hectare, falling in cluster of area 17.335 Hectare with proposed Production capacity 2,00,767 TPA (ROM) near Village- Chechat, Tehsil- Ramganjmandi, District- Kota, (Raj.) (Proposal No. SIA/RJ/MIN/432847/2023) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत दिनांक 28 जून 2024 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक के कार्यवृत्त विवरण (मिनिट्स)।

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा के पत्र क्रमांक आर.पी.सी.बी./आर.ओ.कोटा/माईन्स-236/283-285 दिनांक 07/05/2024 व जिला कलक्टर, कोटा के आदेश क्रमांक-प.2()राजस्व-1/जनसुनवाई/24/980 दिनांक 14/05/2024 की अनुपालना में मैसर्स मनप्रीत सिंह आनन्द द्वारा प्रस्तावित परियोजना यथा "Lime Stone (Building Stone), Lime Stone (Dimensional Waste) & Masonry Stone Mining Project" Ref. No. 20221000060192, M.L. No.- 07/2022, Mine lease area- 1.5600 Hectare, falling in cluster of area 17.335 Hectare with proposed Production capacity 2,00,767 TPA (ROM) near Village- Chechat, Tehsil- Ramganjmandi, District- Kota, (Raj.) (Proposal No. SIA/RJ/MIN/432847/2023) की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई दिनांक 28/06/2024 को "भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत चेचट, पंचायत समिति खैराबाद, तहसील- रामगंजमण्डी/चेचट, जिला-कोटा" में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा द्वारा श्री मुकेश कुमार चौधरी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), कोटा की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

जन सुनवाई के लिए आम सूचना स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों इंडियन एक्सप्रेस व सांध्य दैनिक इवनिंग न्यूज में दिनांक 22/05/2024, (परिशिष्ट-'अ') को प्रकाशित करवाई गई थी तथा जन सामान्य से आक्षेप/सुझाव सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर तक आमंत्रित किये गए थे।

जन सुनवाई में उपस्थित अधिकारी-गण व क्षेत्र के ग्राम वासी तथा अन्य की उपस्थिति पत्र मय हस्ताक्षर (परिशिष्ट-'ब'), जन सुनवाई की वीडियो रिकार्डिंग (परिशिष्ट-'स') एवं फोटोग्राफ्स (परिशिष्ट-'द') सलग्न है।

बैठक की कार्यवाही को आरंभ करते हुए श्री अमित सोनी, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा ने सभी आगन्तुको का स्वागत किया।

तत्पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, कोटा द्वारा अध्यक्ष महोदय से जन सुनवाई प्रारंभ करने हेतु मार्गदर्शन व अनुमति प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा जन सुनवाई प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया गया।

34
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियंत्रण मण्डल, कोटा

h
(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा

श्री अमित सोनी ने खनन परियोजना के तकनीकी सलाहकार मैसर्स वितारस्ता एनवायरो सर्विसेज प्रा. लि. के प्रतिनिधि को प्रस्तावित परियोजना के बारे में एलईडी टीवी के माध्यम से विस्तृत जानकारी देने हेतु आमंत्रित किया।

इसके बाद पर्यावरणीय सलाहकार ने परियोजना से संबंधित निम्नलिखित विवरण विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किए।

परियोजनाओं का परिचय, परियोजनाओं का प्रस्ताव, परियोजनाओं की भौगोलिक स्थिति, कलस्टर नक्शा, नकल व खसरा नक्शा, खदान पर जाने का रास्ता, सामान्य विवरण, जलवायु विज्ञान, सामाजिक स्थिति विवेचन, स्थानीय भू-गर्भ शास्त्र, जल निकासी, भू-वैज्ञानिक एवं खनन योग्य भण्डारण, खनन की आयु, खनन का उपयोग, खनिज का उपयोग, खनन विधि, मशीनरी का विवरण, रोजगार की संभावना, योजना की अवधि के अन्त में भूमि का उपयोग, अध्ययन क्षेत्र के पर्यावरण विश्लेषण के परिणाम, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता अध्ययन, सामाजिक, आर्थिक, जनसंख्या, वातावरण, अनुमानित पर्यावरण अपेक्षित प्रभाव एवं उनके अल्पीकरण के उपाय, पर्यावरण मापदण्डों की निगरानी कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण हेतु बजट, प्रस्तावित वृक्षारोपण का विवरण, व्यवसायी/कॉपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, कलस्टर क्षेत्र के 10 किलोमीटर बफर जोन की जानकारी, वायु प्रदूषण व नियंत्रण के उपाय व जल की गुणवत्ता का प्रबंध, ध्वनि प्रदूषण व ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपाय के बारे में विस्तृत रूप से एलईडी टीवी के माध्यम से जन सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय को बताया गया।

श्री अमित सोनी, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा द्वारा परियोजना प्रस्तावक को बताया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र का क्षेत्रफल कम होने के कारण खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना मुश्किल होता है, अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा संबंधित उपखंड अधिकारी/तहसीलदार से भूमि चिन्हित कर नियमानुसार सघन वृक्षारोपण किया जावे।

इसके पश्चात श्री अमित सोनी, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा ने उपस्थित ग्रामवासियों व जन समुदाय को उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करने का आग्रह किया, साथ ही बताया कि कोई भी उपस्थित नागरिक लिखित व मौखिक रूप से अपने सुझाव यहां दे सकते हैं। यहां पर उपस्थित कम्पनी प्रतिनिधि व तकनीकी सलाहकार उत्तर देंगे।

उपस्थित जन समुदाय, जन प्रतिनिधि गण एवं अन्य जनों ने अपने प्रश्न/संशय/आपत्तियाँ/सुझाव प्रस्तुत किये जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

1. श्री हेमराज मीणा, ग्राम-चेचट:- श्री हेमराज मीणा द्वारा बताया गया कि उन्हें प्रस्तावित परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि खनन क्षेत्र में एकत्रित जल कृषि हेतु उपलब्ध कराया जाता है।

31
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियंत्रण मण्डल, कोटा

hbr
(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा

2. श्री जुगल किशोर, ग्राम-चेचट:- श्री जुगल किशोर द्वारा बताया गया कि उन्हें प्रस्तावित परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि खनन क्षेत्र में एकत्रित जल कृषि हेतु उपलब्ध कराया जाता है।

3. श्री मदन लाल, ग्राम-चेचट:- परियोजना से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, अतः परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है।


श्री मुकेश कुमार चौधरी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), कोटा द्वारा जन समुदाय को बताया गया की उनके द्वारा सार्वजनिक जरूरतों, मुआवजा, श्रम कल्याण या वृक्षारोपण के संबंध में अपनी बात प्रस्तुत कर सकते है।

श्री सर्वजीत सिंह आनन्द, चेचट द्वारा बताया गया कि वह रामगंजमण्डी खनन एसोसिएशन के अध्यक्ष है व रामगंजमण्डी खनन एसोसिएशन द्वारा क्षेत्र के लोगो का ख्याल रखा जाता है तथा एसोसिएशन द्वारा लोगों के लिए सार्वजनिक उपयोग कि जरूरतों को पूरा करने मे योगदान दिया जाता है।


श्री ओम प्रकाश तवैर, उपसरपंच, चेचट द्वारा बताया गया की एसोसिएशन द्वारा पुरा सहयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त श्री अमित सोनी, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा द्वारा वृक्षारोपण के बारे में बताए अनुसार प्रत्येक खनन क्षेत्र में जमीन चिन्हित कर वृक्षारोपण किया जावे

उक्त लोक जन-सुनवाई के दौरान कोई भी लिखित प्रतिवेदन/सुझाव पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं।

इसके पश्चात अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), कोटा तथा क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा द्वारा उपस्थित जन समुदाय का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए जन सुनवाई आयोजन की समाप्ति की घोषणा की गयी।


(अमित सोनी)
क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा


(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

जिला-कोटा, राजस्थान
(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा

For accessing the EOI documents from NMDC web site for the first time; on-line registration is required as 'New User' in 'Tenders' section at website link <https://www.nmdc.co.in> of NMDC. The intending parties are required to visit the NMDC's website and / or CPP Portal for corrigendum, if any, at a future date.

For further clarification, the following can be contacted –

General Manager (C, P & S), NMDC Limited, Hyderabad, Telephone No. 040 – 23532800, email: contracts@nmdc.co.in.

Executive Director (Works)



क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट-2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा-324004

E-mail : rorpcb.kota@gmail.com | Phone : 0744-2490873

No. : RPCB/RO KOTA/Mines-236/362

Dated : 17.05.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अंतर्गत मैसर्स मनप्रीत सिंह आनन्द, एम.एस. आनन्द स्टोन इंडस्ट्रीज, सी-327(ए), रोड नं. 5, इन्द्रप्रस्थ इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला-कोटा (राज.) द्वारा प्रस्तावित परियोजना यथा "Lime Stone (Building Stone), Lime Stone (Dimensional Waste) & Masonry Stone Mining Project" Ref. No. 20221000060192, M.L. No. 07/2022, Mine lease area- 1.5600 Hectare, falling in cluster of area 17.335 Hectare with proposed Production capacity 2,00,767 TPA (ROM) Near Village-Chechat, Tehsil-Ramganjmandi, District-Kota, (Raj.) (Proposal No. SIA/RJ/MIN/ 432847/2023) हेतु प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं।

चूंकि, मैसर्स मनप्रीत सिंह आनन्द द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना यथा "Lime Stone (Building Stone), Lime Stone (Dimensional Waste) & Masonry Stone Mining Project" के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। और चूंकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

उक्त परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

- (1) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
- (2) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।
- (3) कार्यालय जिला कलक्टर, कोटा।
- (4) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, A-218, अरण्य भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर।
- (5) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा।
- (6) जिला उद्योग केन्द्र, कोटा।
- (7) कार्यालय जिला परिषद, रामगंजमण्डी।
- (8) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा।
- (9) कार्यालय तहसीलदार चेचट।
- (10) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति खैराबाद।
- (11) कार्यालय ग्राम पंचायत-चेचट, पंचायत समिति-खैराबाद, तहसील-रामगंजमण्डी/चेचट, जिला-कोटा।

अतः सर्व साधारण को इस नोटिस के माध्यम से एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित प्रकरण के निपटारे के लिए जन सुनवाई हेतु दिनांक 28.06.2024 को "भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र," ग्राम पंचायत चेचट, पंचायत समिति खैराबाद, तहसील रामगंजमण्डी/चेचट, जिला-कोटा में समय प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप, कोविड-19 के सन्दर्भ में जारी गाईडलाइन की पालना सुनिश्चित करते हुए, प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित सुझाव / आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की अवधि में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा, प्लॉट-2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा (E-mail : rorpcb.kota@gmail.com) के साथ-साथ मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

(अमित सोनी) क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट-2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा-324004

E-mail : rorpcb.kota@gmail.com | Phone : 0744-2490873

No. : RPCB/RO KOTA/Mines-235/351

Dated : 17.05.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अंतर्गत मैसर्स सर्वजीत सिंह आनन्द निवासी 43, पार्क लेन, बल्लभ नगर, जिला कोटा (राज.) द्वारा प्रस्तावित परियोजना यथा "Lime Stone (Building Stone), Lime Stone (Dimensional Waste) & Masonry Stone Mining Project" Ref. No. 20221000052896, M.L. No. 02/2022, Mine lease area- 3.5007 Hectare, falling in cluster of area 17.335 Hectare with proposed Production capacity 9,51,887 TPA (ROM) Near Village- Chechat, Tehsil- Ramganjmandi, District-Kota, (Raj.) (Proposal No. SIA/RJ/MIN/433219/2023) हेतु प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं।

चूंकि, मैसर्स सर्वजीत सिंह आनन्द द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना यथा "Lime Stone (Building Stone), Lime Stone (Dimensional Waste) & Masonry Stone Mining Project" के लिए



Equitas Small Finance Bank

(FORMERLY KNOWN AS EQUITAS FINANCE BANK)

Registered Office : No.769, Spencer Plaza, 4th Floor, Connaught Place, New Delhi-110029

DEMAND NOTICE - NOTICE UNDER SECTION 13(4) OF THE SARFAESI ACT, 2002

NOTICE is hereby given that the following borrower/s have availed loan from Equitas Small Finance Bank Ltd (ESFB). The said borrower/s has been classified as Non-Performing Asset as per the guidelines issued by the Reserve Bank of India and the amounts outstanding as on date payable by the borrower/s are not being repaid. The undersigned being the Authorized Officer, the secured creditor under the provisions of the SARFAESI Act, 2002 and not to deal with the borrower/s against their names within 60 (Sixty) days of this notice, the undersigned hereby gives notice under sub-section (4) of Section 13 of the SARFAESI Act, including power to take possession of the assets of the borrower/s.

SR NO	Name of the Borrower(s) / Guarantor(s) (NAME OF THE BRANCH)	Demand Notice Date and Amount	
1	Branch: RAJSAMAND L.No: SERJMND0233046 Borrower: Gopi Lal Suthar Co - Borrower : Urmila Devi	03-05-2024 & 2,41,784	All that pieces of land having patta no. 1620 Sq. Ft. Panchayat simiti area 1620 Sq. Ft. and future super area 1620 Sq. Ft. and 1620 Sq. Ft. south by West by: Application for Loan Agreement Registration District
2	Branch: RAJSAMAND L.No: SERJMND0252960 Borrower: Kailashi Co - Borrower : Suresh Chandra Jat	03-05-2024 & 2,53,955	All that pieces of land having patta no. Ka Kheda , gr Bhillwara , Raj Chandra Jat S/ Bounded on the Das/Balu Vaishya by: House of Sq.Ft. Under the Sub Register
3	Branch: ALWAR L.No: SEIBAWR0266782 Borrower: Amin Khan Co - Borrower : 1-Hanif Khan, 2 - Buddi	03-05-2024 & 2,47,145	All that pieces of land having patta no. panchayat- G admeasuring all present at House of lbr Common Wa Agreement-C District of RAJ
4	Branch: ALWAR L.No: SEIBAWR0285367 Borrower: Mahesh Chand Co - Borrower : Santo	03-05-2024 & 2,04,052	All that piece of land having patta no. simiti - Kisha in the name thereon and ka Makan; Admeasuring property Si Registration
5	Branch: SRI GANGANAGAR L.No: SESGNNR0241835 Borrower: Rajendra Kumar Co - Borrower : Shilpa	03-05-2024 & 5,67,203	All that piece of land having 1/2. , Word no-00 Sq. ft in the super structure : Remaining Admeasuring property Si Registration
6	Branch: CHITTORGARH L.No: SECITOR0176820 Borrower : Ramesh Nath Yogi	03-05-2024 & 1,53,886	All that piece of land having patta no. Faganiya, Chittorgarh

शान्तिनियंत्रित किए
कल स्वीपिंग, एंटी
उपयोग करने,
ट व मैसों द्वारा
ने वाले ईंधन यथा
गा, डीजल से होने



क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट-2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा-324004
E-mail : rorpcb.kota@gmail.com | Phone : 0744-2490873

No. : RPCB/RO KOTA/Mines-236/362

Dated : 17.05.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अंतर्गत मैसर्स मनप्रीत सिंह आनन्द, एस.एस. आनन्द स्टोन इंडस्ट्रीज, सी-327(ए), रोड नं. 5, इन्द्रप्रस्थ इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला-कोटा (राज.) द्वारा प्रस्तावित परियोजना यथा "Lime Stone (Building Stone), Lime Stone (Dimensional Waste) & Masonry Stone Mining Project" Ref. No. 20221000060192, M.L. No. 07/2022, Mine lease area- 1.5600 Hectare, falling in cluster of area 17.335 Hectare with proposed Production capacity 2,00,767 TPA (ROM) near Village-Chechat, Tehsil-Ramganjmandi, District-Kota, (Raj.) (Proposal No. SIA/RJ/MIN/432847/2023) हेतु प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं।

चूंकि, मैसर्स मनप्रीत सिंह आनन्द द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना यथा "Lime Stone (Building Stone), Lime Stone (Dimensional Waste) & Masonry Stone Mining Project" के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। और चूंकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

उक्त परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों में उपलब्ध हैं :-

- (1) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
- (2) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।
- (3) कार्यालय जिला कलक्टर, कोटा।
- (4) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, A-218, अरण्य भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर।
- (5) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा।
- (6) जिला उद्योग केन्द्र, कोटा।
- (7) कार्यालय जिला परिषद, रामगंजमण्डी।
- (8) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा।
- (9) कार्यालय तहसीलदार चेचट।
- (10) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति खैराबाद।
- (11) कार्यालय ग्राम पंचायत-चेचट, पंचायत समिति-खैराबाद, तहसील-रामगंजमण्डी / चेचट, जिला-कोटा।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित प्रकरण के निपटारे के लिए जन सुनवाई हेतु दिनांक 28.06.2024 को "भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र," ग्राम पंचायत चेचट, पंचायत समिति खैराबाद, तहसील रामगंजमण्डी / चेचट, जिला-कोटा में समय प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप, कोविड-19 के सन्दर्भ में जारी गाईडलाइन की पालना सुनिश्चित करते हुए, प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित सुझाव / आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की अवधि में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा, प्लॉट-2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा (E-mail : rorpcb.kota@gmail.com) के साथ-साथ मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज्ञा से

(अमित सोनी) क्षेत्रीय अधिकारी

रीक्षण

नी नरेगा, स्वच्छ
न सहित ग्रामीण
वायवी राज विभाग
के बारे में प्रगति
।
स्वच्छता बनी रहे
आवश्यक निर्देश
ग के दौरान मुख्य
अधिकारी अशोक
एवं अतिरिक्त मुख्य
अधिकारी प्रवीण
जहर इमाम मौजूद

समाज

के शोभायात्रा 12.30 खड़े
हिलाओं द्वारा खड़े गणेश
। यात्रा निकाली जाएगी।
। लोकट चलेंगी। बाबूनाथ
। कार्यक्रम में अनुदान भेंट
।

थापक दिनेश योगी,
योगी, रोहित योगी, अशोक
योगी, शम्भू योगी, रमेश
शाध्यक्ष प्रभूलाल योगी, पूर्व
रवि योगी, हेमराज
श योगी, हनुमान
पे. योगी, महावीर योगी
। के.श योगी, प्रेम प्रकाश
कड़ों गोरक्ष-सैनिक नथ
नेत होंगे।

4/2/22
(37)

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स मनप्रीत सिंह आनन्द द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना यथा "Lime Stone (Building Stone), Lime Stone (Dimensional Waste) & Masonry Stone Mining Project Ref. No. 20221000060192, M.L. No.- 07/2022, Mine lease area- 1.5600 Hectare, falling in cluster of area 17.335 Hectare with proposed Production capacity 2,00,767 TPA (ROM) near Village- Chechat, Tehsil- Ramganjmandi, District- Kota, (Raj.) (Proposal No. SIA/RJ/MIN/432847/2023)" के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), कोटा की अध्यक्षता में दिनांक 28.06.2024 को समय प्रातः 11:00 बजे "भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत चेचट, पंचायत समिति खैराबाद" तहसील-चेचट, जिला-कोटा में आयोजित जन सुनवाई की उपस्थिति पंजिका-

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	कार्यालय/गाँव का नाम	हस्ताक्षर
1	मुकेश कुमार चौधरी	ADM, Kota	
2	अमित खोन्, R.O., R.P.C.B	R.P.C.B	
3	अनुराग सिंह, AEE	RSPCB, Kota	
4	सर्वजीतसिंह आनन्द	Kota	
5	सतनाम सिंह आनन्द	Kota	
6	मनप्रीत सिंह आनन्द	Kota	
7	हरशितसिंह आनन्द	Kota	
8	मनोज यादव	Jaipur	
9	Simran Singhal	Vitasta Jaipur	
10	Jaipurkam Anin	Vitasta Jaipur	
11	ANIL KR. SINGHAL	SDM Rgm.	
12	Bharat Kr Yadav	TDR, chechat	
13			

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	कार्यालय/गाँव का नाम	हस्ताक्षर
		चेचट	जादल 2002
14	जुगल किशोर खटीक	चेचट	
15	हेमराज भीणा	चेचट	
16	रजाक भाई	गुडाला	
17	सत्यनारायण तवैर	चेचट	
18	बबलू लोढा	चेचट	
19	कैलाश चन्द्र मेघवाल	काणदा	
20	शमशुकर	चेचट	
21	रमेशचन्द्र	चेचट	
22	मदनलाल	चेचट	
23	रिंकू	चेचट	
24	ईश्वर	चेचट	
25	मोहनलाल	चेचट	
26	कन्हैयालाल	चेचट	
27	पारण कुमार	चेचट	
28	मनीष कुमार	चेचट	
29	रोहित कुमार	चेचट	
30	पुलकचन्द्र	चेचट	
31	लोकेश कुमार	चेचट	
32	बंशीलाल	चेचट	
33	मनप्रीत	चेचट	

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	कार्यालय/गाँव का नाम	हस्ताक्षर
34	निर्मल कुमार	वेचर	निर्मल
35	डॉ. म. प्रकाश तैवर उपसरपंच	वेचर	डॉ. म. प्रकाश
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			


परिशिष्ट (2)

राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल कोटा
द्वारा आयोजित सामुहिक जनसुनवाई
लाइमस्टोन, मेसनरी स्टोन और मोर्रम क्लस्टर
 कारखाने पट्टा क्षेत्र - 17.335 हेक्टेयर (4-स्त्रीफल खनन पर्ये व 0.2 ए.एच.)


क्रमांक	परियोजना प्रस्तावक	गांव	सदस्य/खनन पट्टा संख्या	खनन (हेक्टेयर)	उत्पादन क्षमता (टी.डी.पी.ए)
1	श्री मनप्रीत सिंह आनंद पुत्र श्री सतनाम सिंह आनंद	श्री. शंभू	शंभू संस्था 2021000060192 प्रा.एल. संस्था 07/2022	1.5000	2,00,767
2	श्री सचचीत सिंह आनंद पुत्र श्री गोविंदर सिंह मुखरवार	श्री. शंभू	शंभू संस्था 2021000055896 प्रा.एल. संस्था 02/2022	3.5007	9,51,887
3	श्री राहुल केम पुत्र श्री कल्पी नंद केम	श्री. शंभू	20211000041734	3.9978	6,07,125
4	श्री राहुल केम पुत्र श्री कल्पी नंद केम	श्री. शंभू	20211000041740	2.6466	2,93,250.19
5	महेश कुमार एड केम कापोराल जी.एम. प्रा. सिनिटरेड	श्री. शंभू	प्रा.एल. नंर- 6/2017	4.00	1,05,000
6	श्री उमा चंकर गंधर्ग पुत्र श्री मन्ना लाल गंधर्ग	श्री. शंभू	प्रा.एल. नंर- 05/2019	1.6299	3,19,291

कारखाने परियोजना की कुल लागत रु. 34,77,320.19 (तीन करोड़ चालीस हजार तीस हजार के लिए सामुहिक ढांचा - नवसुनवाई)
 दिनांक 28/06/2024, प्रातः 11.00 बजे से, स्थान- भारत निर्माण राजीव गांधी सेक्टर केन्द्र, ग्राम पंचायत वेस्ट, पंचायत समिति खेरावाड,
 जिला- रामगढ़/वेस्ट, जिला-कोटा(राजस्थान) में
 प्रस्तावित खनन पट्टा क्षेत्रफल - 15.6000 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता - 2,00,767 टी.डी.पी.ए. (आर.ओ.एन)
 गांव- वेस्ट तहसील, रामगढ़/वेस्ट, जिला-कोटा (राजस्थान)

परियोजना प्रस्तावक- श्री मनप्रीत सिंह आनंद पुत्र श्री सतनाम सिंह आनंद



परिशिष्ट (२)





۲۰۱۱/۱۱/۰۱



ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ

(੨)